उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–प्र03अ0-25/ छः–पु0–9–17–332जी / 91–न्याय–2
लखनऊः दिनांकः 07 सितम्बर,2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–49, सन् 1988) की धारा–3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से परामर्श के पश्चात् सरकारी अधिसूचना संख्या–यू0ओ0–2 / छः–पु0–9–14–332जी / 1991–न्याय–2, दिनांक 23 जनवरी,2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची–क में, जिला गोरखपुर से संबंधित क्रम संख्या–5 में, स्तम्भ संख्या–3 में, मद संख्या–5 के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दी जायेगी, अर्थात्ः–

''5. श्री अशोक कुमार सिंह तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर''

आज्ञा से,

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या–प्र03अ0-25 (1) / छः–पु0–9–17–332जी / 91–न्याय–2, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को अंग्रेजी की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांकः सितम्बर,2017 की तिथि में प्रकाशित करने तथा मुद्रित अधिसूचना की 10 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पद्माकर शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या–प्र03अ0-25 (2) / छः–पु0–9–17–332जी / 91–न्याय–2, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–2) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3– संयुक्त निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्रांक–5294 / मेन–बी / एडमिन(ए–3),इलाहाबाद दिनांक 22 अप्रैल,2017 के संदर्भ में।
4– सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।

5– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7– प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
8– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9– सचिव, नियुक्ति अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
10– जिला जज, गाजियाबाद।
11– निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ।
12– वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
13– निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
14– सदस्य सचिव, उ0प्र0 कानूनी सहायता एवं परामर्शी बोर्ड,510, जवाहर भवन, लखनऊ।
15– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
16– विधायी अनुभाग–1
17– भाषा अनुभाग–5
18– **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
19– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पद्माकर शुक्ल)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–यू0ओ0–02/छः–पु–9–14–332जी/1991–न्याय–2
लखनऊ : दिनांक : 23 जनवरी, 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–49, सन् 1988) की धारा–3 की उपधारा (1) और धारा–4 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ''अनुसूची 'क''' पर यथा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा अपने कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सन् 1988 के उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों के विचारण के लिए, जिनमें उनके न्यायालयों में इसके पश्चात् आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं, स्तम्भ–5 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं, और यह निदेश देते हैं कि उक्त क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न होने वाले ऐसे अन्य मामलों, जिनमें सन् 1988 के उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र पहले से ही दाखिल किये गये हों, का भी विचारण और निस्तारण सम्बन्धित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ–4 में दिये गये विनिर्देशों के अनुसार उनके न्यायालय को पदाभिहित किया जायेगा।

संलग्नक : अनुसूची ''क''

आज्ञा से,

नीना शर्मा
सचिव।

संख्या–यू0ओ0–02(1)/छः–पु–9–14–332जी/1991–न्याय–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक जनवरी, 2015 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नीना शर्मा)
सचिव।

संख्या–यू0ओ0–02(2) / छः–पु–9–14–332जी / 1991–न्याय–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी–2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्रांक–17831 / मेन–बी / एडमिन(ए–3), दिनांक 22.12.14 के संदर्भ में।
4. जनपद न्यायाधीश, बरेली / गोरखपुर / लखनऊ / मेरठ तथा वाराणसी।
5. जिलाधिकारी, बरेली / गोरखपुर / लखनऊ / मेरठ तथा वाराणसी।
6. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. सचिव, नियुक्ति अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली / गोरखपुर / लखनऊ / मेरठ तथा वाराणसी।
12. निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
13. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्शी बोर्ड, 510 जवाहर भवन, लखनऊ।
14. निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
15. विधायी अनुभाग–1 / भाषा अनुभाग–5
16. न्याय अनुभाग–9(बजट) / न्याय अनुभाग–2
17. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नीना शर्मा)
सचिव।

SCHEDULE-A

	Newly created courts in the district		Name of the Judicial Officer recommended for their appointment as Special Judge in the newly created Special courts	Name of the newly created Special Court	Area of Jurisdiction (Court wise)
1	2		3	4	5
1	Bareilly	1	Shri Sanjeev Fauzdar, Addl. District & Sessions Judge / Spl. Judge (E.C. Act)	Special Court no 1 (Prevention of Corruption Act), Bareilly	Bareilly
		2	Shri S.K. Singh, Addl. District & Sessions Judge, Court no.10	Special Court no 2 (Prevention of Corruption Act), Bareilly	Districts Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur, Moradabad, Bijnor, Rampur & J.P. Nagar
2	Gorakhpur	1	Shri Ashok Kumar Premi, Addl. District & Sessions Judge	Special Court no 1 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur	Police stations namely Cantt., Chauri Chaura, Jhangha ,Khorabar, Piparaich of Gorakhpur district.
		2	Shri Rohit Sinha, Addl. District & Sessions Judge	Special Court no 2 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur	Police stations namely Kotwali, Sahajanwan, Rajghat, Belipar, Khajani of Gorakhpur district.
		3	Shri Shamshul Haque, Addl. District & Sessions Judge	Special Court no 3 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur	Police stations namely Pipiganj, Gorakhnath, Kaimoiyarganj, Shahpur, G.R.P of Gorakhpur district.
		4	Shri Badri Bishal Pandey, Addl. District & Sessions Judge	Special Court no 4 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur	Police Stations namely Gola, Bansgaon, Gagaha, .Uruwa Bazar, Belghat and **any other left out Police Station in the district Gorakhpur.**
		5	Shri Anil Kumar Pandey, Addl. District & Sessions Judge	Special Court no 5 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur	Districts Azamgarh, Basti, Deoria, Maharajganj, Mau, Siddharthnagar, Faizabad, Bahraich, Gonda, Pratapgarh, Sultanpur, Padrauna, Barabanki, Ambedkar Nagar, Sant Kabir Nagar, Shravasti, Balrampur
3	Lucknow	1	Shri Rajendra Singh-IV, Addl. District Judge, Court no. 11	Special Court no 1 (Prevention of Corruption Act), Lucknow	Police stations namely Mahanagar, Hasanganj, Shahadatganj, Vikasnagar, Talkatora, Aliganj, Mariwan, Janakipuram of Lucknow distirct.
		2	Shri Anand Prakash-II, Addl. District Judge, Court no. 03	Special Court no 2 (Prevention of Corruption Act), Lucknow	Police stations namely Nigohan, Gomatinagar, Indira Nagar, Vibhutikhand, Ghajipur of Lucknow distirct.
		3	Name of the officer shall be sent later on.	Special Court no 3 (Prevention of Corruption Act), Lucknow	Police stations namely Hazaratganj, Husainganj, Gautampalli, Mahila Thana, Cantt., P.G.I, Ashiyana of Lucknow distirct.
		4	Name of the officer shall be sent later on.	Special Court no 4 (Prevention of Corruption Act), Lucknow	Police stations namely Kaisarbagh, Aminabad, Naka , Chowk, Wazeeraganj, Bazarkhala of Lucknow district.
		5	Name of the officer shall be sent later on.	Special Court no 5 (Prevention of Corruption Act), Lucknow	Police stations namely B.K.T., Itaunja, Mohanlalganj, Gosaiganj, Nagram, Malihabad, Mall, Kakori of Lucknow distirct.
		6	Name of the officer shall be sent later on.	Special Court no 6 (Prevention of Corruption Act), Lucknow	Police Stations namely Alambagh, Manaknagar, Gudamba, Chinhat, Para , Krishnanagar, Sarojnagar, Banthara and any other left out Police Station in the district Lucknow.

Contd.. P 2

		7	**Name of the officer shall be sent later on.**	Special Court no 7 (Prevention of Corruption Act), Lucknow	Districts Rae Bareli and Sitapur
		8	**Name of the officer shall be sent later on.**	Special Court no 8 (Prevention of Corruption Act), Lucknow	Districts Unnao and Kanpur Nagar
		9	**Name of the officer shall be sent later on.**	Special Court no 9 (Prevention of Corruption Act), Lucknow	Districts Hardoi, Kheri, Etawah, Auraiya, Farrukhabad, Kannauj, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Lalitpur, Mahoba, Kanpur Dehat and Jalaun
4	**Meerut**	1	Shri Kaushlendra Yadav, Addl. District & Sessions Judge	Special Court no 1 (Prevention of Corruption Act), Meerut	Meerut, Agra, Bulandsahar, Saharanpur, Etah, Baghpat, Mathura, Mainpuri
		2	Shri Mohammad Sharif, Addl. District & Sessions Judge	Special Court no 2 (Prevention of Corruption Act), Meerut	Ghaziabad, G.B. Nagar, Aligarh, Firozabad, Hathras, Kanshiram Nagar, Muzaffarnagar
5	**Varanasi**	1	Shri Achal Sachdev, Additional District Judge, Court no. 4	Special Court no 1 (Prevention of Corruption Act), Varanasi	Districts Ballia, Chandauli and Police Stations namely Kotwali, Adampur, Bhelpur, Jaitpura, Chauk, Mahila Thana, Ramnagar of Varanasi district
		2	Shri Vikash Saxena-I, Additional District Judge, Court no. 7	Special Court no 2 (Prevention of Corruption Act), Varanasi	Districts Mirzapur, Allahabad, Ghazipur and Police Stations namely Sigra, . Shivpur, Baragaon, Phoolpur, Kapsethi, Lohta, A.H.T.U. of Varanasi district
		3	Shri Ashwani Kumar Dubey, Additional District Judge, Court no. 10	Special Court no 3 (Prevention of Corruption Act), Varanasi	Districts Jaunpur, Kaushambi and Police Stations namely Vigilance Department, Cantt., Chaubeypur, Cholapur, Sarnath, Chetganj, Dashshwamedh of Varanasi district
		4	Shri Dharani Dhar Ojha, Additional District Judge, Court no. 11	Special Court no 4 (Prevention of Corruption Act), Varanasi	Districts Fatehpur, Sonbhadra, Bhadohi and Police Stations namely Lanka, Luxa, Jansa, Mirzamurad, Manduadeeh, Rohania and **any other left out Police Station in the district Varanasi**.

—X—